

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-466/18/ दिनांक:-

आदेश

श्री सुरेश चन्द बैरवा, नर्स-2, सरपदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर, की आदेशों की प्रतिक्षा अवधि दिनांक 23.06.17 से 24.08.17 तक 63 दिवस को राजस्थान सेवा नियम 7 (8) बी/III के अधीन ड्यूटी में शुमार मानते हुये नियम 25 (ए) के तहत भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी.संख्या 1059 दिनांक 21.05.18 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-466/18/977

दिनांक:-06/07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव (पीसी) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक एफ18001830 दिनांक 05.06.18 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 1183 दिनांक 23.05.18 के क्रम में।
3. निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 2895 दिनांक 22.05.18 के क्रम में।
4. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 3857 दिनांक 21.05.18 के क्रम में।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 1059 दिनांक 21.05.18 के क्रम में।
6. अधीक्षक, सरपदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर।
7. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।